न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./120/2025/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. सादूलसिंह पुत्र भंवरसिंह उम्र 70 वर्ष 2. शैतानसिंह पुत्र भंवरसिंह उम्र 60 वर्ष 3. हिन्दूसिंह पुत्र खमाणसिंह उम्र 42 वर्ष 4. हिंगोलसिंह पुत्र खमाणसिंह उम्र 38 वर्ष 5. भाखरसिंह पुत्र खमाणसिंह उम्र 35 वर्ष 6. मेहताबसिंह पुत्र खमाणसिंह उम्र 30 वर्ष 7. श्रीमती राजकंवर पत्नी खमाणसिंह उम्र 65 वर्ष, जातियान राजपूत, निवासीयान नागणासर(झाफलीकंला), तह. शिव, जिला बाड़मेर। 8. श्रीमती अणछकंवर पत्नी भंवरसिंह, जाति राजपूत, निवासी हापो की ढाणी, तह. व जिला बाड़मेर।	1. नारायणसिंह पुत्र भंवरसिंह उम्र 57 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी नागणासर (झाफलीकंला), तह. शिव, जिला बाड़मेर। 2. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा शिव 3. शाखा प्रबंधक, बैंक आफ बड़ौदा, शाखा शिव 4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार एवं पदेन उप पंजियक, शिव।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 98/2023 बउनवान नारायणसिंह बनाम सादूलसिंह वगैरह में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 22.11.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थितिः—

1. वकील डा. अभयसिंह राठौड़ अपीलांट की ओर से।
2. वकील श्री गणपत गुप्ता उतरदाता संख्या 01 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः—21.08.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा नागणासर पटवार हल्का झांपली कला, तहसील शिव, जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 264/66 रकबा 35.8956 हेक्टेयर आराजी वादी/रेस्पों. संख्या 01 एवं अपीलांट/प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 की पुश्तैनी एवं अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 8 की क्रय शुदा संयुक्त खातेदारी की भूमि आई हुई है। हस्तगत प्रकरण की वादगस्त आराजी में वादी/रेस्पोडेन्ट व अपीलांट का अपने—अपने हिस्से अनुसार सहकृषक बहैसियत कब्जा—काश्त चला आ

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रहा है। राजस्व रेकर्ड में हिस्से अंकित हैं। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का बाहमी बंटवारा किया हुआ है। जिस अनुसार ही पक्षकारान कब्जा–काश्त (ढाणी, टांका, पशुबाड़े इत्यादि) काबिज हैं। वर्तमान में वादी व प्रतिवादी के बीच में विधिवत बंटवारा नहीं होने के कारण खेत में हिस्से को लेकर विवाद बना रहता है। वादी कब्जे काश्त एवं वादी के खेत के चारों ओर तारबंदी कर पक्का सेढ़ा कायम किया हुआ है जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा दखलअंदाजी की जा रही है तथा वादीगण के कब्जे काश्त को जबरन उसके हिस्से से बेदखल करने एवं अजनबी क्रेता को बेचान पर पर उतारू हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण (प्रत्यर्थीगण) वादग्रस्त खसरान में अपने कब्जा काश्त के अनुसार भूमि को बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन करने के अधिकारी हैं। जिस हेतु बंटवारे का वाद पेश किया था। जिस पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। मौके पर पक्षकारान के मध्य हुए बाहमी बंटवारे व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया तथा मौके की स्थिति व कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना व अपीलांट को बिना सुने, बिना आपत्ति लिये बिना ही एकतरफा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट को बिना सुनवाई–सबूत का अवसर दिये बाले–बाले ही पारित की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा नागणासर पटवार हल्का झांपली कला, तहसील शिव, जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 264/66 रकबा 35.8956 हेक्टेयर आराजी वादी/रेस्पों. संख्या 01 एवं अपीलांट/प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 की पुश्तैनी एवं अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 8 की क्रय शुदा संयुक्त खातेदारी की भूमि आई हुई है। हस्तगत प्रकरण की वादगस्त आराजी में वादी/रेस्पोडेन्ट व अपीलांट का अपने–अपने हिस्से अनुसार सहकृषक बहैसियत कब्जा–काश्त चला आ रहा है। राजस्व रेकर्ड में हिस्से अंकित हैं। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का बाहमी बंटवारा किया हुआ है। जिस अनुसार ही पक्षकारान कब्जा–काश्त (ढाणी, टांका, पशुबाड़े इत्यादि) काबिज हैं। वर्तमान में वादी व प्रतिवादी के बीच में विधिवत बंटवारा नहीं होने के कारण खेत में हिस्से को लेकर विवाद बना रहता है। वादी कब्जे काश्त एवं वादी के खेत के चारों ओर तारबंदी कर पक्का सेढ़ा कायम किया हुआ है जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा दखलअंदाजी की जा रही है तथा वादीगण के कब्जे काश्त को जबरन उसके हिस्से से बेदखल करने एवं अजनबी क्रेता को बेचान पर पर उतारू हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण (प्रत्यर्थीगण) वादग्रस्त खसरान में अपने कब्जा काश्त के अनुसार भूमि को बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन करने के अधिकारी हैं। जिस हेतु बंटवारे का वाद पेश किया था। जिस पर अपीलांट को कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ जिस कारण से अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

में तलबी हेतु लिखा गया किन्तु अपीलांट्स को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ और ना ही अपीलांट्स की कोई व्यक्तिगत तामील हुई। अपीलांट की ओर से समुचित पैरवी नहीं की गई तथा जवाब दावा भी पेश नहीं किया गया और ना ही कोई साक्ष्य सबूत पेश किया गया। उक्त कथनों को नजरअंदाज करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही दिनांक 20.03.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जिससे अपीलांट के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, अधीनस्थ न्यायालय का उक्त कृत्य विधि विरूद्ध है। उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार, शिव द्वारा मौका रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव बनाने हेतु अपीलांट्स को कोई नोटिस नहीं दिया गया। पत्रावली में संलग्न नोटिस के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलांट को प्रेषित मौका नोटिस दिनांक 24.06.2024 को जारी किये गये जिसमें भी दिनांक में कांट–छांट की गई है। उक्त नोटिस भी अपीलांट्स को ना तो व्यक्तिगत प्राप्त हुये और ना ही नोटिस घर पर चस्पा किया गया किन्तु उक्त प्रश्नगत नोटिस पर तामील कुनिंदा के द्वारा गलत रूप से ईबारत लिखी दी गई कि नोटिस को घर पर चस्पा किया गया। उक्तानुसार बिना अपीलांट को सूचना के ही प्रश्नगत निर्णय की पालना में एकतरफा मौका रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव बनाकर पेश कर दिया गया। विभाजन प्रस्वात के अंकन अनुसार अपीलांट के ना तो हस्ताक्षर हैं और ना ही उपस्थित है। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव बिना अपीलांट की उपस्थिति में मौके पर पक्षकारान के मध्य हुये बाहमी बंटवारे व कब्जा–काश्त के विपरीत जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है उक्त नियमानुसर तहसीलदार स्वयं द्वारा मौके पर जाकर सभी पक्षकारान को सूचित करते हुए पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना आवश्यक होता है। किन्तु प्रश्नगत विभाजन प्रस्ताव में इसका अभाव पाया जाता है। उक्त एकतरफा विभाजन प्रस्ताव को आधार मानते हुए अपीलांट को बिना कोई साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.11.2024 को एकतरफा अपीलाधीन अंतिम निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है। जिसमें माननीय राजस्व मण्डल की विभाजन प्रस्ताव नियमावली में वर्णित नियम 18 से 21 की पालना का अभाव है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। दिनांक 12.02.2024 की आदेशिका से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण बावजूद तामील न्यायालय श्रीमान में उपस्थित नहीं आये। बाद तामील के भी प्रतिवादी/अपीलांट्स अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं आए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है वह विधि सम्मत है। उसमें किसी तरह की कमी नहीं है क्योंकि सभी पक्षकारों को सूचना देने के बाद हल्का पटवारी व आर. आई. के साथ तहसीलदार

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

शिव के द्वारा निर्देशानुसार विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। उक्त प्रस्ताव टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 20 से 21 के अनुसार विधि सम्मत है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवारा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है। सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फ़रमायी जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलांट को बिना सुने ही बिना विधिक तामील के ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिस कारण से अपीलाधीन निर्णय का अपीलांट को ज्ञान नहीं हुआ। रेस्पों. द्वारा अपीलाधीन निर्णय की पालना में अपने हिसाब से निर्णय पारित करवाने के बाद मौके की भूमि पर काबिज होने एवं अपीलांट के कब्जा–काश्त में हस्तक्षेप करने पर अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की नकल ली तब अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई, जानकारी होते ही अपील श्रीमान जी के समक्ष पेश कर दी। बाद जानकारी यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद भी वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री जारी की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार किया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व अपीलांट्स को सूचित किया गया है। जिस पर अपीलांट जानबूझकर उपस्थित नहीं आये। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील बावजूद जानकारी अत्यंत विलंब से पेश की है, जिसका कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट को

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जरिये नोटिस सूचना दिये जाने का अंकन है। अपीलांट/प्रतिवादी के नहीं आने पर उन्हें फोन किये जाने तथा Whatsapp पर नोटिस प्रेषित करने का भी अंकन है। उक्तानुसार अपीलांट द्वारा किये कथनों पर विश्वास किया जाता है तो फिर प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना संभव ही नहीं है। अपीलांट द्वारा हस्तक्षार के संबंध में किये गये कथन में कोई सार नहीं है। अपीलांट द्वारा जानबूझकर विभाजन प्रस्ताव के दिन बावजूद सूचना अनुपस्थित रहना विधि संगत प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए अंतिम डिक्री पारित की गई उसे बाकायदा भूमिधारक तहसीलदार शिव के द्वारा मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवत्ता, स्थायी अलामात/कब्जे को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाकर पेश हुआ, जिस पर दिनांक 22.11.2024 को अंतिम डिक्री जारी की गई। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। अपीलांट द्वारा हस्तगत वाद एवं अपील के साथ ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया जिसके अनुसार अपीलांट जोत का बंटवारा चाहता हो। अपीलांट द्वारा विभाजन प्रस्ताव के संबंध में भी अधीनस्थ न्यायालय में किसी प्रकार कोई उज्र–ऐतराज दर्ज नहीं करवाया गया है। जिससे उनकी विभाजन प्रस्ताव में सहमति प्रतीत होती है। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैं और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bound सिद्धांत के अनुसार तैयार किये गए। सभी पक्षकारों की उपस्थिति में हल्का पटवारी के साथ तहसीलदार, सिणधरी द्वारा निर्देशानुसार विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार तैयार किया गया है। अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार, सिणधरी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 98/2023 बउनवान नारायणसिंह बनाम सादूलसिंह वगैरह में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 22.11.2024 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

21/8/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 21.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/8/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर